पत्रांक–5/न०वि०/जला०/चतरा–07/2016 ......20......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

OSP

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–08/05/18

विषय: वित्तीय वर्ष 2018–19 में चतरा नगर परिषद को चतरा शहरी जलापूर्ति योजना फेज–II हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भुगतान के लिए शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन मद के OSP प्रक्षेत्र से कुल 1,05,29,229/–रुपये (एक करोड़ पाँच लाख उन्तीस हजार दो सौ उन्तीस रुपये) मात्र सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चतरा नगर परिषद के पत्रांक–1241 दिनांक–30.01.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में चतरा नगर परिषद को चतरा शहरी जलापूर्ति योजना फेज–II हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भुगतान के लिए शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन मद के OSP प्रक्षेत्र से कुल 1,05,29,229/–रुपये (एक करोड़ पाँच लाख उन्तीस हजार दो सौ उन्तीस रुपये) मात्र सहाय्य अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता– उपशीर्ष–38– शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48S221780191380679 से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद होंगे, जिनके द्वारा चतरा कोषागार से निकासी की जाएगी।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद सभी तथ्यों की जाँच कर संबंधित परामर्शी के साथ किये गये एकरारनामा के अनुसार परामर्शी शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016–17) में चतरा शहरी जलापूर्ति योजना फेज–II हेतु परामर्शी मद से चतरा नगर परिषद को कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी प्रतिवेदन शून्य है।

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Rakesh/E/Shail/SO_Consultancy/18-19(1)

8. कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

10. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार सिंह) 7.5.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/जला०/चतरा–07/2016 ......20...... **राँची, दिनांक–**08/05/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सहाकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, चतरा कोषागार/ बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.5.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Rakesh/E/Shaif/SO_Consultany/18-19(2)